RTI

URGENT

HEADQUARTERS OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

PANCHDEEP BHAWAN. C.I.G. ROAD, NEW DELHI-2

E-mail: jd-admin2@esic.nic.in Fax No: 011-23210646

No. A-14/14/RTI/Samsher/2012-SCT **Dated: - 15.06.2012**

To,

1. All Regional Directors, ESI Corporation, Regional Offices.
2. All Medical Superintendents, ESI Model Hospitals
3. D(M)D
4. The Joint Directors, Estt-V/Estt-II/Med-IV, Hqrs. Office.

Sub: Information sought under RTI Act, 2005- application of Shri Shamsher Singh

Sir,

I am to forward herewith the application received from Shri Samsher Singh dated 07.06.2012 seeking information under RTI Act, 2005. Requisite information in respect of cadres under your administrative control from year 1995 to 2007 as per the DOPT instructions under reserved categories may please be provided to the applicant directly in stipulated time as per the provision of RTI Act, 2005 under intimation to this office.

Yours Faithfully

Encl: As Above

(SUNIL TANEJA)
JD. DIRECTOR, E-II

COPY TO:- Sh. Paanava Kumar DD(WCM) for UPLOAD ON WEBSITE

995
28/6/12

Issued on 28/6/12

आर टी आई/स्पीड पोस्ट

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
आई.एस.ओ. द्वारा प्रमाणित
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली

जैड-12/14/आई.डी.सं. 3534/श.सिं./2012-सू.का अधि. दिनांक: 07.06.12

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (स्था.-2),
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
मुख्यालय,
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के लिए श्री शमशेर सिंह से प्राप्त आवेदन का अग्रेषण ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु उपर्युक्त आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक 30.05.12 जो कि दिनांक 05.06.12 को प्राप्त हुआ, की एक प्रति एतद्द्वारा इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि आप अपने प्रभाग से संबंधित सूचना/सूचना के भाग को देर से देर 18.06.12. तक आवेदक को सीधे भेज दें। विकल्प रूप में संबंधित सूचना आवेदक को अग्रेषित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को भी प्रस्तुत की जा सकती है। ***इस स्थिति में मांगे गये दस्तावेज/दिये जा रहे दस्तावेजों को दो प्रतियों में भेजा जाये।***

कृपया यह भी नोट करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 5(5) के अन्तर्गत कोई अधिकारी जिसकी धारा 5 (4) के अन्तर्गत सहायता मांगी गई है, तो वह प्रावधानों के किसी उल्लंघन के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में समझा जाएगा ।

आवेदक को सूचना 2/- रूपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रभारित कर उपलब्ध करायी जाये। यदि किसी सूचना को कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में नहीं दिया गया तो उसे निःशुल्क दिया जाएगा। अतएव यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास किये जायें कि सूचना समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी जाये।

आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के अन्तर्गत 10/- रूपये का आवेदन शुल्क अदा कर दिया है।

भवदीया,

(अनीता सुरेश)
सहायक निदेशक
कृते, के.लो.सू.अधि

संलग्न: यथोपरि

डा० सं०...26...........
दिनांक.12/06/12.........

D:\RTI 2012\Forwarding Hindi.doc

3534

दिनांक- 30/05/2012

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग
नई दिल्ली - 110002

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना

महोदय,

आपके पत्र संख्या :- जेड-12/14/आई.डी. सं 3210/श.सी./2012-सू. का अधि दिनांक 22.05.11 के अनुसार

बताया जाए :-

वर्ष 1995 से वर्ष 2007 तक जो भी भर्ती (आरक्षण श्रेणी की भर्ती) की यह भर्ती कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग (DOP&T) के दिशा-निर्देश के अनुसार की गई थी?

संलग्न :- भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 03F 492693 दस रुपये।

नोट :- कृपया प्रश्न को लिखते हुए उत्तर दें।

Office of the CPIO
Receipt No. 2075
5-6-12
338
6-6-12

प्रार्थी
Sd/-
शमशेर सिंह पुत्र श्री छत्तर सिंह
मकान न. - 276
गाँव व डाकखाना मित्राऊँ
नई दिल्ली - 110043

(सां० नि० न्या-II

SPEED POST

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
आई.एस.ओ. द्वारा प्रमाणित
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली

संख्याः जैड-12/14/आई.डी.सं. 3210/श.सिं./2012-सू.का अधि. दिनांकः 22.05.11

अपीलार्थी का नाम — श्री शमशेर सिंह,
मकान न.- 276,
गांव व डाकखाना मित्राउं,
नई दिल्ली- 110043

के.लो.सू. अधिकारी का नाम — श्री एस.के. गर्ग,
के.लो. सूचना अधिकारी,
क.रा.बी. निगम (मुख्यालय), पंचदीप भवन
सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली

डीम्ड के.लो.सू. अधिकारी — संयुक्त निदेशक (स्था. -2),
क.रा.बी. निगम (मुख्यालय), पंचदीप भवन
सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली

निर्णय :-

केन्द्रिय लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय नई दिल्ली को सम्बोधित पत्र दिनांक 06.03.12 में श्री शमशेर सिंह ने आरक्षण श्रेणी की भर्ती संबंधित दिशा निर्देश जारी करने वाले मंत्रालय संबंधित सूचना मांगी थी। के.लो.सू. अधिकारी ने उन्हें पत्र संख्या ए-12/11/1/आर.टी.आई./2012 एस.सी.टी. दिनांक 22.03.12 के जरिये वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी।

श्री शमशेर सिंह ने पत्र दिनांक 09.04.12 जो कि दिनांक 20.04.12 को प्राप्त हुआ में अपील प्रस्तुत कर पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। उनके द्वारा वांछित सूचना इस प्रकार हैः-

कमांक	मंगी गई सूचना	जवाब
1.	बताया जाए आपका कार्यालय (ई.एस.आई.सी.) किस सरकार/किस मंत्रालय के अधीन आता है।	क.रा.बी. निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफि मार्ग, नई दिल्ली के अधीन आता है।
2.	आपके कार्यालय (ई.एस.आई.सी.) में आरक्षण श्रेणी की भर्ती से संबंधित दिशा-निर्देश किस कार्यालय/मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं।	कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, वैयक्तिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश से आरक्षण श्रेणी की भर्ती की जाती है।

यदि अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी के उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे के.सू. आयोग, दूसरा तल, अगस्त कांति भवन, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली को इस निर्णय प्राप्ति के 90 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

भवदीय

(बी.के.साहू)
बीमा आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी